<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 318/2015 संस्थित दिनांक 23.06.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड्, जिला बड्वानी

-अभियोगी

वि रू द्व

मुकेश पिता घिसिया कोली, आयु 21 वर्ष, पेशा—मजदूरी, निवासी—हड्कीबैड़ी, थाना अंजड़

<u> –अभियुक्त</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री एल. के. जैन

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30—08—2016 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 119/2015 के आधार पर दिनांक 25.05.2015 को सुबह लगभग 8 बजे मोहीपुरा रोड़, अंजड़ में धनजी पाटीदार के खेत में फरियादिया, जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के कारण, भादवि की धारा 354 का आरोप है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादिया आरोपी को जानती है तथा उसने आरोपी से राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया है, किन्तु अशमनीय अपराध आरोप होने से राजीनामा स्वीकार नहीं किया गया तथा आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना भी स्वीकृत है।
- 03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2015 को सुबह लगभग 8 बजे फरियादिया अपने घर से जलाउ लकड़ी लेने के लिए मोहीपुरा रोड़ अंजड़ स्थित धनजी पाटीदार के खेत में गई थी, वहां पर आरोपी आया और बुरी नीयत से उसे दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लिया, वह चिल्लाई और आरोपी से छूटकर भागी, घर आकर घटना की बात पित हिन्दू व मामी ममता को बताकर उन्हें साथ में लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आई। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने थाना अंजड़ पर अपराध कमांक 119/2015 दर्ज कर घटनास्थल का नक्शामौका बनाया, फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया और विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 354 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 25.05.2015 को सुबह लगभग 8 बजे मोहीपुरा रोड़, अंजड़ स्थित धनजी पाटीदार के खेत में फरियादिया जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से पीछे से दोनों हाथों से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -

- 06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी स्वयं फिरयादिया (अ.सा.—1) ने कोई कथन नहीं किए हैं। साक्षी का यह कथन है कि घटना वाले दिन सुबह आरोपी ने उसके साथ विवाद किया था, जिसकी रिपोर्ट, प्रपी—1 की उसने थाना अंजड़ पर की थी तथा पुलिस ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया था। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने वहां आकर बुरी नीयत से पीछे की ओर से दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि लकड़ी लाने की बात पर आरोपी ने उसके साथ विवाद किया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि प्रपी—1 की रिपोर्ट और प्रपी—2 के पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा बुरी नीयत से पीछे से पकड़ने की बात उसने पुलिस को बताई थी। साक्षी ने कूट परीक्षण में यह अवश्य स्वीकार किया है कि आरोपी से उसने राजीनामा कर लिया है, किन्तु इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी से राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रही है।
- 07— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से लकड़ी लाने की बात पर से विवाद हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कमर पकड़ने की बात और आरोपी द्वारा साथ चलने और जबरदस्ती करने की कोशिश की बात नहीं बताई थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने वाद—विवाद वाली बात ही अपने पित हिन्दू और ममता को बताई थी।

- 08— अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.—2) का कथन है कि दिनांक 25.05.2015 को फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध बुरी नीयत से पकड़ लेने के संबंध में प्रपी—1 की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादिया को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। फरियादिया की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी—3 का बनाया था तथा फरियादिया व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि प्रपी—1 की रिपोर्ट फरियादिया ने नहीं लिखाई थी, उसने अपने मन से लेखबद्ध की है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फरियादिया ने उसे प्रपी—2 का पुलिस कथन नहीं दिया था।
- 09— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने के आधार पर किसी अन्य साक्षी का परीक्षपण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में, जबिक, स्वयं फरियादिया ने आरोपी द्वारा उसके साथ लज्जा भंग करने के आशय से उसे पीछे से दोनों हाथों से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं तथा प्रकरण में राजीनामा पेश किया है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि उसने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे पीछे से दोनों हाथों से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, अतः आरोपी को उक्त अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।
- 10— चूंकि, उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन संदेह से परे अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है, फलतः अभियुक्त मुकेश पिता घिसिया कोली, आयु 21 वर्ष, निवासी हड़कीबैड़ी, थाना अंजड़, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 11— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं तथा अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
- 12- प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.